न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/319

1. बृजराज सिंह आ० श्री नरपत सिंह
2. कान सिंह आ० श्री नरपत सिंह
3. हशा बाई पुत्री श्री नरपत सिंह
4. बदरी बाई पुत्री श्री नरपत सिंह जाति राजपुत निवासीगण ग्राम डोल्या तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

——अपीलान्ट

बनाम

1. भीम सिंह आ0 श्री कानसिंह
2. किशन सिंह आ० श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी पंजाब सभा भवन के पास शोपिंग सेन्टर कोटा
3. शान्ति बाई पुत्री श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी म० न० 815, 816 महावीर नगर – द्वितिय कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सूरज सिंह यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 23.01.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (कैम्प कोर्ट) जिला कोटा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि यह कि ग्राम डोल्या तहसील लाडपुर जिला कोटा के माल में आराजी खसरा नं0 329 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 330 रकबा 1.14 हे0, कुल किंता दो रकबा 1.35 हे0 स्थित है। उक्त आराजीयात के रेस्पोडेन्ट वादनी एवं अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 से 4 खातेदार कृषक हैं, रेस्पोडेन्ट वादनी का उक्त आराजी मे 1/2 हिस्सा निहित है, जिस पर वह काबिज काश्त है, एवं इसी प्रकार अपीलांट प्रतिवादी कम 1 से 4 का 1/2 हिस्सा निहित है, जिस पर वे काबिज काश्त चले आ रहे हैं। यह कि अपीलांट प्रतिवादीगण, रेस्पोडेन्ट वादनी को अपने हिस्सा की 1/2 आराजी को काश्त करने से रोकते है, वादनी के कब्जे काश्त मे मदाखलत व मजाहमत पैदा करते है, इसलिए वादनी को माननीय न्यायालय की सहायता से वादग्रस्त आराजियात का विधिवत बंटवारा

करवा कर पृथक से लगान राज कायम कराने, तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से उक्त आराजी में वादनी के हिस्से 1/2 की आराजी से बेदखल न करने, कब्जा न करने, तथा आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने में व्यवधान पैदा करने से पाबन्द करवाया जाना वादनी के लिए आवश्यक हो गया है। यह कि वाद का कारण दिनांक 25.6.2012 को वादनी द्वारा प्रतिवादीगण से आराजी का विधिवत बटवारा करने को कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा नहीं मानने, तथा वादनी के कब्जे काश्त मे मदाखलत व मजाहमत की धमकी दिये जाने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे पैदा हुआ है।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर राज्य सरकार की ओर से आयोजित न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में दिनांक 09.05.2017 को ग्राम डोल्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में पत्रावली पेश की गई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर ग्राम डोल्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की जमाबन्दी में अंकितानुसार खसरा नम्बर 329, 330 रकबा 1.35 हैक्टर आराजी का 1/2 हिस्सा वादिनी के वारिसान तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गए।

4. परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 64/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने अपनी अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का कथन किया।

5. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. उक्त अपील में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं सचिका से प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों को अध्ययन किये बगैर बिना साक्ष्य रिकार्ड किये आरबीटरी निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादिनी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा (ACM) के न्यायालय में सुनवाई हेतु 18.06.17 पेशी वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र कायम मुकाम हेतु नियत की गई थी। अपीलान्ट को बिना सुने पत्रावली कैम्प में दिनाक 09.05.17 लगा दी गई और प्रकरण का निर्णय सभी प्रक्रिया को ताक में रखते हुऐ मनमाने तरीके से कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट ने अपने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व अधिकार में चली आ रही है। जिसका बंटवारा हो चुका है। प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात पर वादिनी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादपत्र के साथ विशेष कथन में अंकित किया कि वादिनी के अलावा भवानी सिंह के एक पुत्र कान सिंह भी पैदा हुआ जिसका उल्लेख वादिनी ने वादपत्र में नहीं किया है। कान सिंह का देहांत हो चुका है। वादिनी एवं कान सिंह ने उक्त 1/2 हिस्से की आराजी खसरा नं0 174 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये नम्बर 329, 330 है को प्रतिवादीगण के पिसरान नरपत सिंह जी एवं तुलासा बाई का पुराना कर्ज चुकाने के लिए सांवल सिंह

जी से 2501/– कर्जा लेकर 12 महीने के लिए पांती पर दे दिया, तब से उक्त आराजी पर वादिनी का कब्जा नही हैं, और वादिनी अपने हिस्से की आराजी का अधिकार खो कर चुकी है। अब वादिनी पुनः विभाजन मांगने के लिए स्टोप्ड है। यह कि वादिनी एवं स्व० कान सिंह द्वारा उक्त लिया गया कर्ज नहीं चुकाया जा सका है और आराजी से कब्जा भी नही छुडाया जा सका। प्रतिवादीगण के पिसरान श्री नरपत सिंह जी से वादिनी एवं कान सिंह ने तथा कथित 1/2 हिस्से की आराजी नरपत सिंह को वर्ष 1989 में 4517/– में बेचान कर दी है और सावल सिंह जी के कर्ज का हिसाब किया और हिसाब करके फैसला किया और अराजी खसरा नं० 174 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये नम्बर 629, 630 वाके डोल्या तहसील लाडपुरा कोटा का कब्जा सांवल सिंह से प्रतिवादीगण के पिसरान श्री नरपत सिंह को दे दिया, तब से उपरोक्त सम्पूर्ण अराजी नरपत सिंह एवं उनकी देहान्त के उपरान्त प्रतिवादीगण के कब्जे में चली आ रही है । वादिनी का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है। अपने ससुराल पक्ष के बहकावे में आकर वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही हैं। यह कि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर वर्ष 1989 से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। वादिनी एवं कानसिंह द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादीगण को बेचान कर देने से कोई हिस्सा शेष नही रहा हैं। जमाबंदी से वादिनी का नाम 1/2 हिस्से आराजी से हटाकर तन्हा प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की जावे। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे मे अभिलिखित उक्त कथनों के आधार पर वाद में न तो तनकी कायम की गई और न ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। काउण्टर क्लेम का निर्णय किये बगैर और तनकीवार निर्णय पारित नही करके निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नही किया कि अपीलान्ट को कानसिंह आ० भवानी सिंह एव वादिनी ने विभाजन करके पुराना कर्ज चुकाने के ऐवज में आराजी का बेचान कर दिया था। इस कारण अपीलान्ट तन्हा 1/2 हिस्से की आराजी के भी खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी हो चुके है। रेस्पो० का आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है, तथा आराजी में कोई हिस्सा शेष नही रह गया था। इस कारण प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। और कहा कि जब मेरे काउंटरक्लेम पर कोई आदेश ही नहीं दिया तो मैं दो अपील कर ही नहीं सकता अतः प्रस्तुत अपील पोषणीय है।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से खातेदारी घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तूत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 09.05.2017 को लोक अदालत के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के उक्त अभिलिखित कथनों पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय पारीत किया है जो न्यायोचित नहीं होने से अपीलांटगण की आरे से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि तकनीकी रूप से अपीलांट को दो अपीले पेश करनी चाहिए थी तथा एक ही अपील पेश करने के कारण तकनीकी रूप से अपील खारिज की जाए। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो. ने न्यायिक दृष्टांत 2020(2) आर आर टी पृष्ठ सं 819 प्रस्तुत किया। अंत में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 09.05.2017 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 13.04.17 में पत्रावली में आगामी दिनांक 18.05.2017 को तय की गई परंतु उससे पूर्व ही दिनांक 05.05.2017 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत हेतु रेफर करते हुए दिनांक 09.05.17 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत के कैंप कोर्ट में रखी गई। राजस्व लोक अदालत में दिनांक 09.05.2017 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। आदेशिका दिनांक 09.05.2017 पर केवल भीम सिंह के हस्ताक्षर हैं जबकि प्रकरण में अन्य 7 पक्षकार और हैं। अपीलांट प्रतिवादीगण संख्या 1 लागायत 4 को राजस्व लोक अदालत के नोटिस भी प्रॉपर तामील नहीं है। अपीलांट प्रतिवादीगण संख्या 1 लागायत 4 न तो स्वयं की उपस्थिति तथा ना ही उसके उनके अधिवक्ता की उपस्थिति अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादीगण 1 लागायत 4 को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। राजस्व लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विधिक रुप से राजीनामा प्रस्तुत होने पर उनकी उपस्थिति दर्ज की जा कर राजीनामा स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में लोक अदालत की भावना से ना तो कोई विधिक राजीनामा प्रस्तुत हुआ है तथा ना ही अपीलांट रेस्पोंडेट संख्या 1 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना उचित है। अधिवक्ता रेस्पो. का कथन है कि अपीलांट को दो अपील पेश करनी चाहिए थी, परंतु हमारे विनम्र मत में जब काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय/आदेश ही नहीं हुआ तो उसकी अपील नहीं की गई तथा राजस्व लोक अदालत में अपीलांट उपस्थित ही नहीं थे तथा न ही कोई राजीनामा विधिक रुप से प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2017 विधिक रुप से त्रुटिपूर्ण है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट वादी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा प्रकरण संख्या 64/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 09.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार समुचित तनकीयात कायम कर उन पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 09.02.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा